"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 679] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2024 — कार्तिक 8, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्र. 9197 / डी. 75 / 21—अ / प्रारू. / छ.ग. / 24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल रिन्हा, उप सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्र. 2 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में अग्रतर संशोधन करने हेतु अध्यादेश।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।'

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 से 4 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 30 में,– धारा 30 का संशोधन.

(एक) खंड (ए) का लोप किया जाये ।

(दो) खंड (डी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ई) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी परिशद् के वार्ड से संबंधित विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, तो वह परिशद् के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करेगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :– धारा 36 का संशोधन.

"(5) यदि उप–धारा (1) में वर्णित कालावधि के अंवसान होने के पूर्व, नगर पालिका/नगर पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 328 के उपबंध, छः मास से अनधिक कालावधि के लिए लागू होंगे, जिसके भीतर नगरपालिका/नगर पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।"

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्र. 9196/डी. 74/21–अ/प्रारू./छ.ग./24. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप सचिव.